



2026:AHC:65915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5541 वर्ष 2026

कुलदीप आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अतुल कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री फिरदोश अहमद, आवेदक के अधिवक्ता श्री अतुल कुमार यादव और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-चौबिया, जिला इटावा में दर्ज अपराध संख्या-0115 वर्ष 2025 की धारा 109(1) बी.एन.एस. और धारा 3, 25, 27 शस्त्र अधिनियम के तहत उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के कब्जे से एक देशी पिस्तौल और कुछ जीवित और खाली कारतूस बरामद किए गए हैं और उसने पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी है और एक गोली एक पुलिस अधिकारी की हथेली को छू रही है, हालांकि, अभिलेखों पर कोई चोट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक, जो 9.7.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो वह प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को ज़मानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्ष 23 है जिन्हें उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

5. जवाब में, आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक 97.2025 से जेल में बंद है और उसने आवेदन ज़ापन के प्रस्तर-12 में आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है जिसमें वह सभी मामलों में ज़मानत पर है और उसने आवेदन के साथ कुछ ज़मानत आदेश संलग्न किए हैं और वह सभी ज़मानत आदेश प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए, वह सभी ज़मानत आदेशों को संलग्न नहीं कर सका।

6. कहा जाता है कि एक पुलिस कर्मी की हथेली पर गोली लगी है, हालांकि, कोई मेडिकल रिपोर्ट अभिलेखों में नहीं है। आवेदक 9.7.2025 से जेल में बंद है। आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्ष 23 है जिसे आवेदन ज़ापन के प्रस्तर-12 में समझाया गया है और कुछ ज़मानत आदेशों को आवेदन ज़ापन के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और कुछ जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए हैं।

7. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- कुलदीप को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)